३५५६

ORIGINAL

केवालादाता-इन्दिरा गाँधी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, चास (धनबाद)

निबन्धन संख्या २ (धनबाद) दिनांक ३० अप्रील १९८७

ये समिति के तरफ से केवालादाता समिति के अध्यक्ष श्री नन्द जी सिंह

पिता श्री राम जनम सिंह एवं सचिव श्री नरेश प्रसाद सिंह

पिता स्व० राज नारायण सिंह जाति हिन्दु पेशा व्यवसाय

निवास स्थान चास थाना चास जिला बोकारो

केवाला ग्रहीता :— श्री रामेश्वर प्रसाद पिता श्री राम ... प्रसाद

जाति हिन्दु पेशा नौकरी निवास स्थान बी. एस. एल. (सेल)

थाना बी. एस. सिटी जिला बोकारो

लेख्य प्रकार :— विक्रय पत्र,

सम्पत्ति का सम्योचित मूल्य 16,500/- सलटह हजार पाँच सौ रुपये मात्र

मौजा चास के अन्दर रकबा 10 डी० दस, डिसमिल, सालाना

मालगुजारी 10 पैसा, पैसा मालिक जमीन्दार बिहार सरकार अंचल कार्यालय चास

तफशील

जिला धनबाद सब रजिस्ट्री ऑफिस चास, सदर रजिस्ट्री ऑफिस धनबाद परगणा खासपेल अन्तर्गत ३० नं० थाना मौजा चास के अन्दर रैयती स्वत्व का खाता नं० 426 चार सौ छब्बीस, प्लोट नं० 2226 बाईस सौ छब्बीस के तहत समिति का प्लोट नं०

जिससे आज हमलोगों ने आपको अपना हक हस्तान्तरित कर रहा हूँ और उसका उपयोग निम्नलिखित रूप में किया जा सके :—

दिनांक 10/6/94 को यह चास रजिस्ट्री ऑफिस का रजिस्ट्री किया हुआ 3831 नं० केवाला दस्तावेज द्वारा, कमल चन्द्र आचार्या के निकट खरीदा रैयती स्वत्व का सम्पति होता है— जिसका — चौहद्दी :- उ0 :- कैपटोल,

द0 :- इसी प्लोट का शेषभाग।

पू0 :- 1028 नं प्लोट।

प0 :- 225 नं प्लोट।

Rameshwar Prasad

President 10/6/94

Hon. Secretary 10/6/94

हस्तांतरित जमिन जो समिति के सदस्य को दी जा रही है उस पर सदस्य का अधिकार रहेगा और वह समिति के नियमावली अनुसार उसपर गृह निर्माण करने का अधिकारी होगा।

नियम एवं शर्तें

१. समय - समय पर समिति द्वारा तय किया गया विकास हेतु राशि (Development Charge) सदस्य को मान्य होगा और वह इसे देने के लिए बाध्य (Bound) रहेगा।

२. सदस्य को गृह - निर्माण समिति के नियमानुसार करना होगा। गृह निर्णाय के लिए गृह का नक्सा समिति द्वारा अनुमोदित (Approvod) करने पर ही सदस्य गृह - निर्माण कर सकते हैं।

३. सदस्य को अपने ही क्षेत्र में समिति के नियमानुसार घर बनाने का अधिकार है। वह किसी तरह का अधिक घेरा (Encroachment) नहीं कर सकता हैं।

४. सलाना मालगुजारी जो सरकार को देय होगी वह सदस्य को देना होगा।

५. नगर पालिका द्वारा जारी की गयी सभी प्रकार के टॅक्स सदस्य को देना होगा।

६. अपने और अपने आस - पास क्षेत्र को साफ - सुथरा रखने की जिम्मेवारी सदस्य पर होगी।

७. किसी तरह का झगड़ा (dispute) होने पर कार्यकारिणी समिति (Board of Director) का निर्णय सदस्य को मानने पर बाध्य होना पड़ेगा।

८. समिति का सभि नियमावली सदस्य को मान्य होगा। नियम का उलंघन करने पर उसे सदस्यता से वंचित किया जा सकता है।

अत: मैं समिति के तरफ से सरल मन एवं स्वास्थ्य दिमाग से इस दस्तावेज का सम्पादन किया ताकि समय पर काम आवें।

अंग्रेजी दिनांक :— 10/6 1994

पक्ष को दस्तावेज पढ़ कर सुनाना
दस्तावेज लेखक
श्री महावीर महतो
मो० चासे
10/6/94

गवाह :—

१. राम नरेश सिंह चास
10/6/94

२. Mahabir Mahto

३. [signature]
10/6/94

[signature]